उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-6

संख्या-31-860/38-6-15-04(एवीआरवाई)/2007

लखनऊः दिनांक-10 सितम्बर, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

ग्राम्य विकास विभाग में शासन स्तर पर शासनादेश सं0-1556/38-6-94-24डीडी/94, दि0-31 मार्च, 1994 द्वारा अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना प्रकोष्ठ का गठन करते हुए पदों का सृजन किया गया। कार्यालय ज्ञाप सं0-144/38-2-2006, दि0-05.12.2006 द्वारा उक्त प्रकोष्ठ का नाम बदलकर "ग्राम्य विकास नियोजन, बजट, प्रशिक्षण तथा एवीआरवाई प्रकोष्ठ" किया गया है। कार्यालय ज्ञाप दि0-31 मार्च, 1994 द्वारा एक स्टेनों/टंकक का पद भी (रू0-2000/- प्रतिमाह) संहत वेतन पर सृजित हुआ था और समय समय पर संहत वेतन संशोधित होने के उपरान्त कार्यालय ज्ञाप सं0-1288/38-6-10/04 एवीआरवाई07, दि0-31 मई, 2010 के द्वारा संहत राशि रू0-11496/- प्रतिमाह किया गया है।

2. उक्त के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम्य विकास बजट एवं अनुश्रवण/ग्राम्य विकास नियोजन, बजट, प्रशिक्षण तथा एवीआरवाई प्रकोष्ठ में स्टेनों/टंकक की पदधारक श्रीमती स्मिता निगम को आशुलिपिक के पद वे0आ0-2-562/दस-54(एम)2008टी.सी., दिनांक-30 अगस्त, 2013 के द्वारा लिए गये निर्णय के क्रम में वेतन बैंड-1 रू0-5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0-2800/- के न्यूनतम के आधार पर उनका न्यूनतम वेतन रू0-5200/- तथा ग्रेड वेतन रू0-2800/- को जोडकर रू0-8000/- प्रतिमाह निर्धारित करते हुए इस निर्धारित वेतन पर राज्य कर्मियों की भांति समय-समय पर अनुमन्य दरों पर महंगाई भत्ता भी प्रदान किये जाने की श्री राज्य पाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- श्रीमती स्मिता निगम को वर्ष में 20 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा तथा उन्हें राजकीय कर्मचारियों की भांति प्रसूति अवकाश की सुविधा भी देय होगी।

4- यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

5- तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान सं0-13 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-102-सामुदायिक विकास-09-ग्राम्य विकास बजट एवं अनुश्रवण प्रकोष्ठ-02-मजदूरी मद की धनराशि से वहन किया जायेगा तथा वेतन आदि के आहरण का अधिकार ग्राम्य विकास सचिव शाखा के आहरण वितरण अधिकारी में निहित होगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0प0सं0-वे0आ0-2-1213/दस-2015, दि0-08 सितम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

वी0 हेकाली झिमोमी
सचिव।

<u>संख्या-860(1)/38-6-2015 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. वित्त व्यय नियंत्रण अनु0-2/ग्रा0वि0 अनुभाग-2
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. विशेष कार्याधिकारी एवं निदेशक, ग्राम्य विकास नियोजन, बजट प्रशिक्षण तथा एवीआरवाई प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।
5. आहरण वितरण अधिकारी, ग्राम्य विकास सचिव शाखा।
6. वित्त(वेतन आयोग) अनु0-2, उ0प्र0 शासन।
7. श्रीमती स्मिता निगम, स्टेनो/टंकक, ग्रा0वि0 नियोजन, बजट, प्रशिक्षण तथा एवीआरवाई प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(उमा कान्त पाठक)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in